सं. 20/2013 नारायण बनाम माधु

क्र.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/25	मैं लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 17/2/2024 को स्वयं उपस्थित था। अप्रार्थी सं. 1 को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 3/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 6/6/25	
3/7/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी- अप्रार्थी अधि- उप. पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 25/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 3/7/25	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी- अप्रार्थी अधि- उप.। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 11/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 25/7/25	
11/8/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता उप.। पत्रावली में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 11/8/25	
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता उप.। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। शा. मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 26/9/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–20/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नारायण पिता माधु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. प्रभु पिता माधु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. माया पुत्री माधु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. माधु पिता देवा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. निर्मला पुत्री माधु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. चन्दा पुत्री माधु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. प्रकाश पिता माधु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. देऊ पत्नि माधु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
7. उप–पंजीयक महोदय, उप–तहसील कार्यालय कारोई जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. इन्द्रा विश्नोई पुत्री श्री भेरू लाल विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

– विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92(क) व 188 रा०टि०एक्ट
बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री कन्हैया लाल कुमावत प्रार्थी
2. श्री अशोक शर्मा अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 26/9/2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन द्वारा दिनांक 01.10.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 20/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम निवेदन को स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.10.2019 को जारी की जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

26/9/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त उनवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जो कि काफी ठोस तथ्यो पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्रीं होगा।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जिसका पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है :-

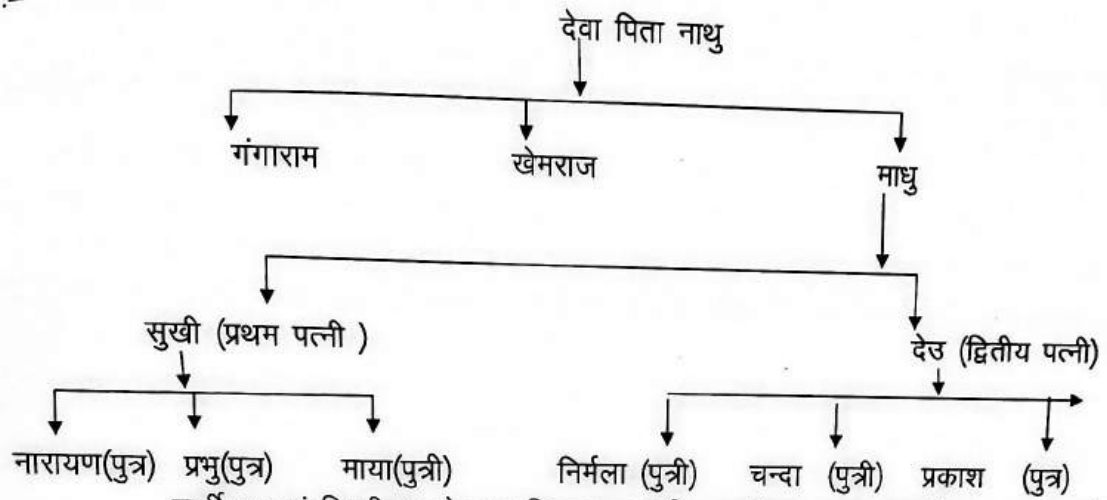

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि आराजियात ग्राम गुन्दली प0 ह0 गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 202/2, 88/2, 89, 90, 109/2, 110/2, 989/3 कुल किता 7 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे के अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के परिवार में मुख्य पुरूष देवा पिता नाथु गुर्जर थे, जिनके 03 वारीस गंगाराम, खेमराज व माधु हुऐ। प्रार्थीगण, माधु के वारीस होकर, माधु के पुत्र व पुत्री है। माधु जिवित है, इस प्रकार प्रार्थीगण देवा पिता नाथु के पौत्र व पौत्री होकर, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारीस है जिनका जन्म से ही अपने दादाजी की सम्पति में यानि पैतृक भूमि में बराबर का हक होकर, हिस्सेदार है। विपक्षी संख्या 01 माधु ने, प्रार्थीगण की माता सुखी से विवाह किया था, जिनके वारीस हम प्रार्थीगण हुऐ, प्रार्थीगण की माता सुखी के जिवित रहते, विपक्षी संख्या 01 माधु ने विपक्षी संख्या 05 देऊ से नाता विवाह यानि दूसरा विवाह कर लिया, जिनके विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 वारीस हुए। विवाहिता पत्नि सुखी व प्रार्थीगण के एवं नातायत द्वितीय पत्नि देऊ व उनके वारीस विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 के मध्य लड़ाई–झगड़ा विवाद होने से प्रार्थीगण के दादाजी देवा पिता नाथु गुर्जर ने पारिवारीक समझौता एवं समझाईस करवा अपने जीवनकाल में विवादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण एवं विवाहिता पत्नि सुखी के हक व हिस्से में रखी। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करते आ रहे है तथा विपक्षी संख्या 05 दूसरी पत्नि सुखी एवं उनके वारीसान के हक व हिस्सा में इसी ग्राम गुन्दली में स्थित आराजी नम्बर 847 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 01 माधु ने अपने नाम पर दर्ज भूमि को, विपक्षी संख्या 05 देऊ के नाम पर दर्ज करवा दी, जिस पर विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त आ रहे है व ग्राम गुन्दली में स्थित एक आवासीय भूखण्ड भी विपक्षी संख्या 01 माधु ने, विपक्षी संख्या 05 देऊ के नाम पर दर्ज करवा रखा लेकिन प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजियात विपक्षी संख्या 01 माधु के नाम पर दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 01 नशा पता का आदि होकर शराब, गांजा, भांग का सैवन करता है, जिससे उसका मानसिक सन्तुलन स्थिर नही रहता है, इसलिए प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजियात, जो कि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है, को विपक्षी संख्या 05 अपने बहकावें में लेकर कोड़ियो के भाव में विक्रय करवा, मौके से बेदखल करने पर आमादा है, जबकि प्रार्थीगण ने अपने हक व हिस्से में आयी आराजियात को प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवाने हेतु, विपक्षी संख्या 01 को कई बार निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 01 इन्कार हो गया है व हाल ही में दिनांक 25.08.2019 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को, प्रार्थीगण के हक व हिस्से में आयी आराजियात को, प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवाने के बजाय अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर, प्रार्थीगण को हक व हिस्से से वंचित कर, मौके से बेदखल करने की धमकी दी, जिससे प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है।

26/9/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थीगण की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 25.08.2019 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को, प्रार्थीगण के हक व हिस्से में आयी आराजियात को, प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवाने के बजाय अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर, प्रार्थीगण को हक व हिस्से से वंचित कर, मौके से बेदखल करने की धमकी देने की दिनांक 25.08.2019 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है चूँकि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के हक व हिस्से में प्रार्थीगंण के दादाजी देवा पिता नाथु गुर्जर के जीवन काल में ही पारिवारीक समझौता एवं समझाईस अनुसार प्रार्थीगण के हक व हिस्से में रखी गई जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करते आ रहे है लेकिन उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजाजय फायदा उठाने के आशय से विवादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण, प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवाने के बजाय अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर, मौके से बेदखल करने पर आमादा है। यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के हक व हिस्से में आयी आराजियात को विपक्षीगण द्वारा अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर, मौके से बेदखल कर दिया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि ग्राम गुन्दली प०ह० गुन्दली तहसील भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 202/2 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 88/2 रकबा 00 बीघा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी, आराजी संख्या 89 रकबा 00 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 90 रकबा 00 बीघा 04 बिस्वा, आराजी संख्या 109/2 रकबा 00 बीघा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 110/2 रकबा 00 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 989/3 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 07 बिस्वा कुल रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के उपयोग–उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नही करें, उक्त भूमि को रहन–बय–बक्षीस के माध्यम से अन्तरित व भारित नहीं करें। विपक्षी संख्या 06 राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें, विपक्षी संख्या 07 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा यू0टी0 (अण्डरटेकिंग) दिनांक 17.02.2020 को ली गई। प्रार्थीया इन्द्रा विश्नोई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी मूलवाद में स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु नियत की गई। प्रकरण में संशोधित उनवान शीर्षक दिनांक 20.01.2025 को पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 निमय 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 13.02.2025 को पेश की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब दिनांक 26.03.2025 को पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का दिनांक 23.05.2025 को निर्णित किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 06.06.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

26/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित तथ्य उक्त अनवान का वादपत्र पेश करना स्वीकार है। लेकिन प्रस्तुत वादपत्र सरासर गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जो अवश्यमेव खारीज होगा।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित पारिवारिक सजरा विपक्षी जवाबदाता की जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित पारिवारिक सजरा पेश नही किया है। जिसके अभाव मे प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित आराजियात स्थित होना स्वीकार हे। लेकिन प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार स्वत्व नही है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 04 जिस प्रकार लिखी गयी है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। विपक्षी जवाबदाता द्वारा सद्भाविक तौर पर भूमि क्रय की है। कब्जा विपक्षी जवाबदाता का है। प्रार्थीगण ने तथ्य छुपाकर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 05 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण जवाबदाता के विरूद्व दिनांक 25/08/2019 को कोई बिनाय वाद पैदा नही हुआ है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 06 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है व न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है, बल्कि विपक्षी जवाबदाता सद्भाविक क्रेता होकर मालिक व काबिज है व मामले में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी होने पर विपक्षी जवाबदाता को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु विपक्षीगण जवाबदाता के पक्ष में है। प्रार्थीगण विपक्षी जवाबदाता के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 07 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने असत्य तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य हैं

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 08 गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 09 मे प्रार्थी ने जो शपथपत्र पेश किया है, जो झूठा पेश किया है। खण्डन मे विपक्षी जवाबदाता का शपथपत्र पेश है।

अंत मे प्रार्थी ने जो प्रार्थना दर्ज की है, जो गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमे प्रार्थीगण का कितना हक हिस्सा है, उक्त भूमि मे प्रार्थीगण को किस प्रकार से हक अधिकार प्राप्त है, प्रार्थनापत्र मे कही पर भी उल्लेख नही किया है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी हो ऐसा भी कोई तथ्य अंकन भी वादपत्र मे वर्णित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार व स्वत्व वादग्रस्त आराजियात मे नहीं है व प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर उक्त वादपत्र पेश किया व क्लीन हैण्ड़ से न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

26/9/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 989/3 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि को विपक्षी संख्या 08 द्वारा विपक्षी संख्या 01 से दिनांक 29/08/2019 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय कर अपने आधिपत्य मे प्राप्त की, जिस पर क्रय की दिनांक से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 08 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय करने के बाद प्रार्थीगण एवं दीगर विपक्षीगण द्वारा दुरभी संधी कर विपक्षी संख्या 08 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की जानकारी होते हुए भी उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। विपक्षी संख्या 08 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर मालिक है। जिससे विपक्षी संख्या 08 के विक्रयपत्र को राजस्व न्यायालय में चैलेज नहीं किया जा सकता है व न ही कोई अनुतोष ही प्रार्थनापत्र मे चाहा है। जिससे प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 08 के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नही हुआ है, बिना बिनायवाद के उक्त प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थीगण का कानूनी कोई हक हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में नही बनता है व यदि कोई हक हिस्सा बनता ही है तो वादग्रस्त आराजियात मे विपक्षी संख्या 08 को 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि विक्रय करने के बाद 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि बचती हैं, उसमे अपना हक हिस्सा प्राप्त कर सकते है, लेकिन विपक्षी संख्या 08 को विक्रयशुदा भूमि को भी शामिल कर झूठे तथ्यो के आधार पर केवल मात्र परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र मे विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 05 के नाम ग्राम गून्दली की आराजी नम्बर 847 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा करना बताया है, उक्त आराजी के संबंध में न तो कोई वाद पेश किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण द्वारा दुरभी संधी कर विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 08 को भूमि विक्रय करने से मिथ्या तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 08 के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र को चैलेज नही किया व न ही वाद मे कही पर कोई अनुतोष चाहा है। जिससे प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

विपक्षी जवाबदाता जो कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर मालिक व काबिज है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को राजस्व न्यायालय मे चैलेज नहीं किया जा सकता है। जिससे प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 06 एवं 07 राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० के तहत 02 माह की समयावधि का नोटिस नही दिया है, जिसके अभाव मे प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थी ने मात्र परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी संख्या 08 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से दिनांक 17.02.2020 को अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने के उपरान्त वकालतनामा एवं जवाब पेश नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एवं अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 06.06.2025 को अमल में लाई गई।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:–

26/9/2025
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम गुन्दली की वादग्रस्त आराजी संख्या 202/2, 88/2, 89, 90, 109/2, 110/2, 989/3 कुल किता 7 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज देवा पिता नाथू को जरिये विरासत माधु पिता देवा के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगण माधु के विधिक वारिसान है, जिनके वादग्रस्त आराजियात में जन्म से ही हक अधिकार उत्पन्न हो गए है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से आराजी संख्या 989/3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि का विपक्षी संख्या 8 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया है। जिसमें विपक्षी संख्या 1 को स्वयं के हक हिस्से तक ही बेचान करने का अधिकार प्राप्त था। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से का भी बेचान कर दिया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात होने से प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में सफल रहे है।

विपक्षी संख्या 8 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 8 जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 29.08.2019 से वादग्रस्त आराजी संख्या 989/3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा की खातेदार है, जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्रार्थना पत्र में नहीं चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत विकय विलेख को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित नहीं करवाया गया है। साथ ही राजस्व न्यायालय में पंजीकृत विकय विलेख के विरूद्ध वाद पेश नहीं किया जा सकता है, ना ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजियात में से ग्राम गुन्दली की आराजी संख्या 989/3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि का बेचान विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 8 के पक्ष में जरिये पंजीकृत विकय विलेख किया गया है। वादग्रस्त संपत्ति के प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात होने एवं प्रार्थीगण का उसमें हक हिस्सा होने का बिन्दु साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त ही संभव है। प्रथम दृष्टया वादग्रस्त संपत्ति विपक्षी संख्या 1 को जरिये विरासतन प्राप्त होना प्रमाणित है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहे है।

3. अपूरणीय क्षतिः–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से ग्राम गुंदली की आराजी संख्या 989/3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि का विपक्षी संख्या 8 को अंतरण कर दिया गया है एवं शेष आराजियात का भी दीगर व्यक्तियों को अंतरण करने पर आमादा है। यदि वादग्रस्त संपत्ति का विपक्षी संख्या 1 द्वारा अन्य व्यक्तियों को अंतरण कर दिया जाता है एवं विपक्षी संख्या 8 द्वारा वादग्रस्त आराजी संख्या 989/3 का दीगर व्यक्ति के पक्ष में अंतरण कर दिया जाता है तो नवीन वाद उत्पन्न होंगे एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी अर्थ से पूर्ती किया जाना संभव नहीं होगा।

विपक्षी संख्या 8 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहसं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 8 पंजीकृत विकय विलेख से वादग्रस्त आराजी संख्या 989/3 की खातेदार काश्तकार हुई है। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत विकय विलेख को शून्य घोषित करवाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विपक्षी संख्या 8 के पंजीकृत विकय विलेख से खातेदार होने से विपक्षी संख्या 8 के विरूद्ध प्रार्थीगण अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

26/9/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से एक आराजी संख्या 989/3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से विपक्षी संख्या 8 के पक्ष में किया जा चुका है। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त संपत्ति का अन्यत्र अंतरण को रोके और इसी विधिक दायित्व की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विपक्षीगण के विरूद्ध जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2014 को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है तथा उभयपक्षकारान् को मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसकी स्वीय विधि से विरासतीय नामान्तरण दर्ज करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से अंतरित ग्राम गुंदली की आराजी संख्या 989/3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में विरासतीय आधार पर भी कोई नामान्तरण दर्ज नहीं किया जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

26/3/2015

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा